UPFR010024562026

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–02/

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), फर्रुखाबाद।

पीठासीनः– तरूण कुमार सिंह प्रथम.....एच०जे०एस० UP6264

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या – 670/2026

अभिषेक कुमार पुत्र महेशचन्द्र, उम्र 41 वर्ष, निवासी– मोहल्ला छपट्टी छिबरामऊ, थाना को० छिबरामऊ, जनपद फर्रूखाबाद।

––––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार **––––––अभियोजन**

मु०अ०सं०– 56/2026

धारा–191(2), 228, 115(2), 118(1), 352, 351(3), 109, 61(2) **बी.एन.एस. व 3(2)(5) एस.सी./एस.टी.एक्ट**

थाना– **मऊदरवाजा**

जिला–**फर्रूखाबाद**

दिनांकः 17.06.2026

आवेदक/अभियुक्त **अभिषेक कुमार** की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०– 56/2026, धारा– 191(2), 228, 115(2), 118(1), 352, 351(3), 109, 61(2) **बी.एन.एस. व 3(2)(5) एस.सी./एस.टी.एक्ट,** थाना– **मऊदरवाजा,** जिला– **फर्रूखाबाद** के मामले में अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्व शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एस०सी०/एस०टी० (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 के विधिक उपबन्ध के विरुद्ध है। अतः ऐसी स्थिति में एस०सी०/एस०टी० अधिनियम के अपराध में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

Digitally signed by TARUN KUMAR SINGH
Date: 2026.06.17 15:08:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त अभिषेक कुमार द्वारा धारा **191(2), 228, 115(2), 118(1), 352, 351(3), 109, 61(2) बी.एन.एस. व 3(2)(5) एस.सी./एस.टी.एक्ट** के अन्तर्गत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में एस.सी./एस.टी.एक्ट की धारा 18 के विधिक उपबन्ध निम्नवत है –

धारा 18 एस०सी०/एस०टी० एक्ट –

अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना –

संहिता की धारा 438 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी।

धारा 18A एस०सी०/एस०टी० एक्ट– किसी जांच का अनुमोदन का आवश्यक न होना –

(2) किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निदेश के होते हुए भी, संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले को लागू नहीं होंगे।

उपरोक्त विधिक उपबन्ध के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एस.सी./एस.टी.एक्ट के मामलें में पोषणीय नहीं है।

अतः मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **निस्तारित** किया जाता है।

दिनांकः 17.06.2026

(**तरूण कुमार सिंह – I**)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–02/
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), फर्रूखाबाद।